

भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र

डाकघर: केट
इंदौर- 452 013

संदर्भ संख्या 14/05/2020-GAC /

मई 16, 2021

प रि प त्र

विषय : नोवेल कोरोना वायरस (COVID-19) के प्रसार को रोकने के लिए बचाव उपाय के संबंध में.


जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर, इंदौर के दिनांक 30.04.2021 के आदेश के अनुसार "जनता कर्फ्यू" लागू करने के परिणामस्वरूप दिनांक 16.05.2021 तक आरआरकेट में वैज्ञानिक एवं तकनीकी गतिविधियाँ बंद रखने के संबंध में उपर्युक्त विषय पर आरआरकेट के दिनांक 09.05.2021 के परिपत्र सं.14/05/2020-GAC/ की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 03.05.2021 के कार्यालय ज्ञापन सं. 110/13/9/2014-Estt/A-III के अंतर्गत जारी दिशानिर्देशों, जिन्हें जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर, इंदौर के दिनांक 16.05.2021 के आदेश संख्या 2364/R.A.D.A/2021 के साथ पढ़ा जाए एवं इंदौर की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए आरआरकेट की वैज्ञानिक एवं तकनीकी गतिविधियाँ दिनांक 29.05.2021 तक बंद रहेंगी।

आरआरकेट के दिनांक 21.04.2021 के परिपत्र सं. 14/05/2020-GAC/434 के अन्य नियम एवं शर्तें तत्काल प्रभाव से दिनांक 29.05.2021 या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, लगातार बनी/लागू रहेंगी ।

सभी से एक बार पुनः अनुरोध है कि स्थानीय प्रशासन द्वारा कोविड-19 संबंधी समय-समय पर जारी किए जाने वाले बचाव उपायों एवं दिशा-निर्देशों का पालन करें ।

यह परिपत्र निदेशक, आरआरकेट के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है ।


(डी.सी. मीना)

कृते मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

सभी वर्ग निदेशक

सभी सह-निदेशक

सभी प्रभाग/अनुभाग/प्रयोगशाला प्रमुख, आरआरकेट

मेल-ऑल

प्रतिलिपि:

1. निदेशक कार्यालय, आरआरकेट
2. क्षेत्रीय निदेशक (क्रय एवं भंडार), आरआरकेट
3. उप लेखा नियंत्रक, आरआरकेट
4. उप कमांडेंट, केंऔसुब, आरआरकेट
5. उप मुख्य सुरक्षा अधिकारी, आरआरकेट